न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 3/2024

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/281 अपील

उनवान

1. राधा जोशी पुत्री ओंकारलाल व्यास (ब्राहम्ण) पत्नि खेमराज जोशी निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर हाल निवासी 24, रामनगर, मुसाखेडी, इन्दौर (म.प्र.)
2. भागवन्ती कलावत पुत्री ओंकारलाल व्यास (ब्राहम्ण) पत्नि रोडीलाल कलावत निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर हाल निवासी 85, आदर्श मौलिक नगर, इन्दौर (म.प्र.)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत खाखरमाला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खाखरमाला तहसील रायपुर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत खाखरमाला नामान्तरणकरण संख्या 180 दिनांक 06.02.2012

उपस्थित

1. कल्याण मल कुम्हार – अधिवक्ता अपीलार्थी
2. विपक्षी संख्या 1 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक :– 9/2/26

प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खाखरमाला पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर में स्थित आराजी संख्या 476 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 913/480 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 918/480 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.42 है0 आराजियात गोपीलाल, लेहरूलाल, जानकीलाल, दिनेशकुमार पिता ओंकरलाल ब्राहम्ण के नाम खातेदारी है एवं अन्य खातेदारो के साथ अभिलिखित चली आ रही थी, कालान्तर में अमरतीबाई बेवा आंकरलाल व्यास का निधन हो गया, उसके निधन उपरान्त अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण संख्या 180 खोलकर फैसल किया गया, जिसमें अपीलान्ट्स के नाम पर उक्त नामान्तकरण अमरती वाई के पुत्र गोपीलाल, लेहरूलाल, जानकीलाल, दिनेशकुमार के साथ साथ न खोलकर गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक तरीके से अमरतीबाई के राजुबाई, भागुबाई के नाम से पुत्रियां बताते हुए उनके नाम फैसल कर दिया जबकि अमरतीवाई पत्नि ओंकारलाल ब्राहम्ण के राजु बाई, भागु बाई नाम की कोई पुत्रियां ही नही है, वल्कि अपीलान्ट राधा एवं भागवन्ती ही पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी वारीसान है, उक्त नामान्तरण गलत एवं अवैध तरीके से राजु बाई, भागु बाई के नाम पर अभिलिखित कर दिये जाने की जानकारी होने पर अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अलोच्य नामान्तरणकरण की जानकारी होते ही अपील निहायत अदव के साथ निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है :–

1. अधीनस्थ ग्राम पंचायत का आलोच्य नामान्तरकरण पर पारित आदेश सर्वथा विधि के विपरीत होकर काविल अपास्तगी के है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2. निर्वावाद रूप से अमरतीबाई बेवा ओंकारलाल ब्राहम्ण के गोपीलाल, लेहरूलाल, जानकीलाल, दिनेशकुमार पुत्र है एवं अपीलान्ट्स राधा एवं भागवन्ती पुत्रीयां होकर मृतक अमरती बाई के उक्त सभी विधि के तहत् प्रथम श्रेणी वारीसान होकर उत्तराधिकारी है, ऐसी हालात में अमरती बाई के निधन के उपरान्त जो आलोच्य नामान्तकरण में तथाकथित रूप से दर्शाये गये सजरे में गलत एवं अवैध रूप राजु बाई, भागु बाई को पुत्रियां बताते हुए स्वीकृत किया गया है, वह प्रारम्भिक रूप से ही अवैध शुन्य है। अपीलान्ट्स राधा एवं भागवन्ती के आधार कार्ड एवं Board of Secondary Education Madhya Pradesh की अंक तालिका अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है, इस प्रकार अलोच्य नामान्तरण राजु बाई, भागु बाई को अमरतीबाई की पुत्रीयां बताते हुए फैसल किया गया है, उसे अपास्त करते हुए अपीलान्ट्स के नाम पर अपने भाईयों यथा गोपीलाल, लेहरूलाल, जानकीलाल, दिनेशकुमार के साथ–साथ फैसल किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

3. आलोच्य नामान्तकरण वाली आराजियात पर कब्जा अपीलान्ट्स का ही सगे भाईयो के साथ संयुक्त रूप से निरन्तर चला आ रहा है तथा कोई राजुबाई, भागु बाई का नही है न ही इस नाम की कोई महिला ग्राम नान्दुड़ा में है। ऐसी हालत में आलोच्य नामान्तरण से राजुबाई, भागुबाई का नाम हटाते हुए अपीलान्ट्स का नाम पर नामान्तकरण फैसल किया जाना चाहिए था किन्तु ग्राम पंचायत ने पटवार हल्का द्वारा गफलत व लापरवाही तरीके से दर्शाये गये सजरे में अपीलान्ट्स का वास्तविक नाम दर्ज नही कर राजुबाई, भागुबाई का नाम स्वीकृत किया गया वह सर्वथा विधि के विपरीत होने से काबिल अपास्तगी है।

4. आलोच्य नामान्तकरण स्वीकृती के समय पूर्व कोई किसी प्रकार की सूचना अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को नही दिये गये, ओर पटवार हल्का द्वारा किसी प्रकार की कोई समुचित तहकीकात नही की गयी, ऐसी हालत में पारित आचोच्य नामान्तरण सर्वथा नैसर्गिक न्यायिक सिद्वान्तो के सर्वथा विपरीत होने के साथ साथ विधि के मान्य सिद्वान्तो के भी सर्वथा विपरित होकर काबिल अपास्तगी के है।

5. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट्स जो कि अपने बचपन से ही ग्राम कोट छोड़कर इन्दौर (म.प्र.) में स्थायी रूप से आवाद हो गई है। इस कारण से यथासमय पर उन्हे आलोच्य नामान्तरण की जानकारी नही हो सकी इस कारण से दिनांक 06.02.2012 से 01.10.2024 का समय उपरोक्त सदभाविक एवं युक्तियुक्त कारणो से काबिल क्षम्य है। अतः उक्त गुजरे समय को क्षम्य किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पारित आलोच्य नामान्तकरण गे से राजु बाई, भागु बाई के नाम पर स्वीकृत किये गये अलोच्य नामान्तकरण को अपास्त करते हुए राजु बाई, भागु बाई के स्थान पर अपीलान्ट्स के नाम पर आलोच्य नामान्तरकरण फैसल किये जाने का आदेश फरमाया जावे, हर्जा खर्च अपीलान्ट्स को रेस्पोडेन्ट से दिलाया जावें।

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 3/2024

प्रस्तुत अपील के आधार पर प्रकरण दिनांक 02.12.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 18.12.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मूल खातेदार गोपीलाल, लेहरूलाल, जानकीलाल, दिनेशकुमार पिता उंकारलाल, अमरतीबाई पत्नि उंकारलाल ब्राहम्ण सा. नान्दुड़ा के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड थी, अमरती बाई की मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारीसान उनके पुत्रों एवं पुत्रीयों राधा एवं भागवन्ती के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत खाखरमाला द्वारा नामान्तकरण 180 दिनांक 06.02.2012 को दर्ज किया गया जिसमें अमरती बाई के पुत्रों के साथ राजुबाई, भागुबाई पुत्रीयां उंकारलाल ब्राहम्ण सा. नान्दुड़ा का अंकन कर दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण की स्वीकृती दिनांक 06.02.2012 से 01.10..2024 तक की अवधि को जानकारी अभाव में मुजरा दिलाते हुए नामान्तरण को अमरती बाई की पुत्रीयों के नामान्तरण की हद तक अपास्त करने की अपील अन्दर अवधि शुमार फरमाते हुए अपील स्वीकार फरमाई जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी नकल एवं नामान्तकरण पर गंभीरता से विचार किया गया तो पाया कि अपील में वर्णित भूमि खातेदार गोपीलाल, लेहरूलाल, जानकीलाल, दिनेशकुमार पिता उंकारलाल, अमरतीबाई पत्नि उंकारलाल ब्राहम्ण सा. नान्दुड़ा के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड थी। अमरती बाई के फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 180 दिनांक 06.02.2012 के द्वारा गोपीलाल, लेहरूलाल, जानकीलाल, दिनेशकुमार पिता उंकारलाल एवं राजुबाई, भागुबाई पुत्रीयां उंकारलाल ब्राहम्ण सा. नान्दुड़ा का राजस्व रेकार्ड में अंकन दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से बावजूद सूचना कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए नामान्तकरण स्वीकृत दिनांक से अपील प्रस्तुत तक की अवधि को कन्डोन करते हुए अपील स्वीकार की जाना उचित प्रतीत होता है।

::– **आदेश** –::

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पंचायत खाखरमाला तहसील रायपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 180 के निर्णय दिनांक 06.02.2012 को राजुवाई, भागुवाई की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक अमरती बाई निवासी नान्दुड़ा के विधिक वारीसान की जांच कर अपील में वर्णित भूमि का नामान्तकरण सभी पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दाखला नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9/2/2026 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर-जिला भीलवाड़ा